Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी लूनकरणसर

मांगीलाल बनाम मोटपुरी वगै

किस्म मुकदमा:– अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

नं मुकदमा.....106 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.05.2024	आज यह पत्रावली प्रार्थी की ओर से एडवोकेट मेजरसिंह गिल द्वारा पेश की गई । सरिश्ते से रिपोर्ट बाद प्राप्त हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। रजि.एडी. नोटिस जारी हो। वकील प्रार्थी के निवेदन पर एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थनापत्र एवं संलग्न शपथ पत्रो पर विश्वास करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की जारी हो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त भूमि मौजा रोही सूई के खसरा नम्बर 1210/254 तादादी 50.0 बीघा भूमि मे प्रार्थी के हक हिस्से तक भूमि मे रिकॉर्ड व पंजीयन की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी सीपीसी आदेश 39 नियम 3 की पालना करें। यह आदेश भारतमाला प्रोजेक्ट से सम्बन्धित भूमि, सरकारी रास्ता एवं रोडा एक्ट से प्रभावी भूमि के सम्बन्ध में प्रभावी नहीं होंगे। इसमें यदि अप्रार्थीगण को कोई उज्र या ऐतराज हो तो नियत पेशी को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करें। तहरीर अलग से जारी होकर पत्रावली आयन्दा वास्ते तलबी दिनांक 08.07.2024 को पेश हो। Rajendra (हस्ताक्षर)	[illegible] 437 22/5/24
08/07/24	पत्रावली पेश हुई। आवाजें लगवायी गयी बार-बार आवाजें लगवाने जाने के बावजूद पक्षकार उपस्थित नहीं। अत: पत्रावली इसी स्टेज पर अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। Rajendra (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर	